



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102020-222789
CG-DL-E-28102020-222789

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3405]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 28, 2020/ कार्तिक 6, 1942

No. 3405]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2020/KARTIKA 6, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3859(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के पाली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 158 (रास- ब्यावर-आसींद-माण्डल) के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 19.400 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप खण्ड अधिकारी रायपुर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के पाली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 158 (रास- ब्यावर-आसींद-माण्डल) के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 19.400 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: राजस्थान		जिले का नाम: पाली			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: रायपुर					
गांव का नाम: बाबरा					
1	1750	निजी	गै. मु.	0.0200000(हेक्टेयर)	0.0200000
गांव का नाम: भंवरिया					
1	2717	सरकारी	गै.मु. पहाड़	0.6848000(हेक्टेयर)	0.6848000
2	2717/1	सरकारी	बारानी दोयम	0.0821000(हेक्टेयर)	0.0821000
3	2717/2	सरकारी	बारानी दोयम	0.0842000(हेक्टेयर)	0.0842000
गांव का नाम: देवगढ़					
1	1141/1	सरकारी	बारानी दोयम	0.2726000(हेक्टेयर)	0.2726000
2	1141/2	निजी	बारानी दोयम	0.0238000(हेक्टेयर)	0.0238000
गांव का नाम: देवनगर					
1	4147	सरकारी	गै. मु. मगरी	0.3231000(हेक्टेयर)	0.3231000
2	4147/1	निजी	बारानी दोयम	0.0003000(हेक्टेयर)	0.0003000
3	4147/10	सरकारी	गै.मु. रेल लाइन	0.0695000(हेक्टेयर)	0.0695000
4	4147/3	निजी	बारानीअव्वल	0.0015000(हेक्टेयर)	0.0015000
गांव का नाम: गोपालपुरा					
1	1534/1	सरकारी	गै. मु. पहाड़	2.6188000(हेक्टेयर)	2.6188000
गांव का नाम: कोलपुरा					

1	2458	सरकारी	गै. मु. पहाड़	0.0049000(हेक्टेयर)	0.0049000
गांव का नाम: सुमेल					
1	3374	सरकारी	गै. मु. भाखर	0.6189000(हेक्टेयर)	0.6189000
कुल				4.8045	4.8045

[फा. सं. RW/NH/12012/11/2017/PS-4/RJ/3A20]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2020

S.O. 3859(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 158 (Ras-Beawer-Asind Mandal Section) in the stretch of land from Km 0.00 to Km 19.400 in the District of Pali in the State of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer Raipur in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling National Highway No158 (Ras-Beawer-Asind-Mandal Section) in the stretch of land from Km 0.00 to Km 19.400 in the District of Pali in the State of Rajasthan.

State: RAJASTHAN		District: PALI			
S.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Raipur					
Village: Babra					
1	1750	Private	Ge. Mu.	0.0200000(Hectare)	0.0200000
Village: Bhawariya					
1	2717	Government	Ge. Mu. Pahad	0.6848000(Hectare)	0.6848000
2	2717/1	Government	Barani Doyam	0.0821000(Hectare)	0.0821000
3	2717/2	Government	Barani Doyam	0.0842000(Hectare)	0.0842000
Village: Devgad					

1	1141/1	Government	Barani Doyam	0.2726000(Hectare)	0.2726000
2	1141/2	Private	Barani Doyam	0.0238000(Hectare)	0.0238000
Village: Devnagar					
1	4147	Government	Ge. Mu. Magri	0.3231000(Hectare)	0.3231000
2	4147/1	Private	Barani Doyam	0.0003000(Hectare)	0.0003000
3	4147/10	Government	Ge. Mu. Railway LINE	0.0695000(Hectare)	0.0695000
4	4147/3	Private	Barani Avval	0.0015000(Hectare)	0.0015000
Village: Gopalpura					
1	1534/1	Government	Ge. Mu. Pahad	2.6188000(Hectare)	2.6188000
Village: Kolpura					
1	2458	Government	Ge. Mu. Pahad	0.0049000(Hectare)	0.0049000
Village: Sumel					
1	3374	Government	Ge. Mu. Bhakhar	0.6189000(Hectare)	0.6189000
Total				4.8045	4.8045

[F. No. RW/NH/12012/11/2017/PS-4/RJ/3A20]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.